न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–99 / 2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
2. कस्तूरी पुत्री राजपाल पत्नि रामजीत जाति माली निवासी अटारीपुरा तहसील वैर जिला भरतपुर राज0 ।
3. भागचन्द पुत्र राजपाल पौत्र सुखा जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलांटान

बनाम

1. कल्ली पुत्री कान्हा पत्नि बंशी जाति माली – मृतक
   1/1. हट्टा पुत्र कल्ली जाति माली निवासी समोची,
   1/2. पूरण पुत्र कल्ली जाति माली निवासी समोची,
   1/3. चन्दन पुत्री कल्ली पत्नि गंगोली जाति माली निवासी कांकरोली,
   1/4. निहाली पुत्री कल्ली पत्नि भूरजी निवासी दारोदा,
   1/5. बच्ची पुत्री कल्ली पत्नि अमरसिंह निवासी ग्राम दारोदा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
2. सोहनलाल पुत्र गंगाराम जाति माली,
3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति माली,
4. करण पुत्र गंगाराम जाति माली,
5. घनश्याम पुत्र उम्मेदी जाति माली,
6. मूलचन्द पुत्र उम्मेदी जाति माली,
7. रामजीलाल पुत्र उम्मेदी जाति माली – (मृतक डिलीट)
8. जलसिंह पुत्र उम्मेदी जाति माली,
9. दुर्जन पुत्र हुकमी जाति माली (मृतक डिलीट)
10. सम्पत पुत्र अमरसिंह जाति माली (मृतक डिलीट)
11. सत्यनारायण पुत्र अमरसिंह जाति माली निवासीयान ग्राम नांगल खखावल्यान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
12. गंगासहाय पुत्र हुकम जाति माली (मृतक डिलीट)
13. बिशन पुत्र हुकमी जाति माली (मृतक डिलीट)
14. तेजपाल पुत्र बोदन जाति माली,
15. केदार पुत्र बोदन जाति माली,

16. नन्दकिशोर पुत्र बोदन जाति माली,
17. भगवान पुत्र बोदन जाति माली,
18. मेघश्याम पुत्र बोदन जाति माली निवासीयान नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
19. सूरज कौर बेवाह बोदन जाति माली (मृतक डिलीट)
20. अंगूरी पुत्री बोदन पत्नि हरिसिंह जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी हाल खौरी तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 ।
21. रामदुलारी पुत्री बोदन पत्नि बनेसिंह निवासी खौरी तहसील नदबई जिला भरतपुर ।
22. कन्हैया पुत्र कमल जाति ब्राह्मण निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
23. श्यामलाल पुत्र घीसा जाति नाई (मृतक डिलीट)
24. मनफूल पुत्र बिरजी जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
25. छोटेलाल पुत्र घीसा (मृतक डिलीट)
26. रामस्वरूप पुत्र बिरजी जाति माली (मृतक डिलीट)
27. नन्नू पुत्र बिरजी जाति माली (मृतक डिलीट)
28. मनफूल पुत्र बिरजी जाति माली,
29. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर ।

..... असल रेस्पो0

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

अपील सं0:–100/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भागचन्द पुत्र राजपाल पौत्र सूखा जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. तेजपाल पुत्र बोदन जाति माली,
2. केदार पुत्र बोदन जाति माली,

8/2/14

3. नन्दकिशोर पुत्र बोदन जाति माली,
4. भगवान पुत्र बोदन जाति माली,
5. मेघश्याम पुत्र बोदन जाति माली निवासीयान नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
6. सूरज कौर बेवाह बोदन जाति माली (मृतक तर्क)
7. अंगूरी पुत्री बोदन पत्नि हरिसिंह जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी हाल खौरी तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0 ।
8. रामदुलारी पुत्री बोदन पत्नि बनेसिंह निवासी खौरी तहसील नदबई जिला भरतपुर ।
9. यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा जाति माली निवासी नांगल खखावल्यान तन सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
10. कल्ली पुत्री कान्हा पत्नि बंशी जाति माली – मृतक
    10/1. हट्टा पुत्र कल्ली जाति माली निवासी समोची,
    10/2. पूरण पुत्र कल्ली जाति माली निवासी समोची,
    10/3. चन्दन पुत्री कल्ली पत्नि गंगोली जाति माली निवासी कांकरोली,
    10/4. निहाली पुत्री कल्ली पत्नि भूरजी निवासी दारोदा,
    10/5. बच्ची पुत्री कल्ली पत्नि अमरसिंह निवासी ग्राम दारोदा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
11. सोहनलाल पुत्र गंगाराम जाति माली,
12. बाबूलाल पुत्र गंगाराम जाति माली,
13 करण पुत्र गंगाराम जाति माली,
14. घनश्याम पुत्र उम्मेदी जाति माली,
15. मूलचन्द पुत्र उम्मेदी जाति माली,
16. रामजीलाल पुत्र उम्मेदी जाति माली – (मृतक डिलीट)
17. जलसिंह पुत्र उम्मेदी जाति माली,
18. दुर्जन पुत्र हुकमी जाति माली (मृतक डिलीट)
19. सम्पत पुत्र अमरसिंह जाति माली (मृतक डिलीट)
20. सत्यनारायण पुत्र अमरसिंह जाति माली निवासीयान ग्राम नांगल खखावल्यान तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
21. गंगासहाय पुत्र हुकमी जाति मांली (मृतक डिलीट)
22. बिशन पुत्र हुकमी जाति माली (मृतक डिलीट)

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 10/1 ल0 10/5
3. शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

8/2/14

::: निर्णय :::

दिनांक :–27.04.2018

यह दों अपीलें विद्धान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

वादनी द्धारा प्रस्तुत वाद सं0 1/38/94 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0 नं0 893 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 919 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 926 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम सौंखरी है कि जो साबिक ख0 नं0 559, 579 वाके ग्राम सौंखरी से बने हैं । ये नम्बर सालिम वो आराजी ख0 नं0 1021 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1022 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1023 रकबा 14 बिस्वा, 1024 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1025 रकबा 12 बिस्वा, 1033 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 1035 रकबा 4 बीघा, 856 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 934 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 935 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 936 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 938 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, 1016 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1017 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 1019 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 1142 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 1143 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1144 रकबा 18 बिस्वा, 1145 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा, 1146 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सौंखरी जो साबिक ख0 नं0 540, 643, 644, 645, 646, 649, 651, 532, 592, 593, 595, 638, 640, 642, 739, 740, 742, 743 वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर से बने हैं जिन आराजीयात का 1/6 हिस्सा दावा हाजा में विवादित है । वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 तथा प्रतिवादी सं0 15 बोदन एक ही परिवार के सदस्य हैं । तुलसी के तीन पुत्र कान्हा, सुक्का, बोदन पैदा हुए जो तीनों फौत हो चुके हैं । कान्हा की पुत्री वादिया है । सुक्का के दो पुत्र राजपाल व यादराम पैदा हुए, राजपाल फौत हो गया उसकी ब्याहता पत्नि गुलकन्दी उसके जीवनकाल में ही फौत हो गयी । गुलकन्दी के कोई संतान पैदा नहीं हुई । गुलकन्दी के फौत होने पर राजपाल ने प्रतिवादनी सं0 3 अशरफी के साथ धरेजा कर लिया तथा असरफी के साथ भागचन्द गोद में आया था जो मृतक राजपाल की गैलड संतान है तथा कस्तूरी राजपाल से ही पैदायसी पुत्री है । कान्हा ने यादराम को कभी गोद नहीं लिया और न कभी गोद की रस्म अदा हुई । यादराम व राजपाल में से कोई भी मृतक कान्हा का दत्तक पुत्र नहीं है और न मृतक कान्हा के वारिस ही हैं बल्कि मुताबिक कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मिन वादिया ही मृतक श्री कान्हा की पुत्री होने से एकमात्र वारिस है । मृतक राजपाल अथवा उसके वारिसान या यादराम का मृतक कान्हा की आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है बल्कि मिन वादिया ही अपने पिता की आराजी की तन्हा मालिक है । साबिक आराजी ख0 नं0 559 व 579 वाके सौंखरी जिसके हाल ख0 नं0 893, 919, 926 बने है में वादिया का 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार काबिज है तथा प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 शेष 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज है तथा इन आराजीयात में बन्दोबस्त से पूर्व मिन वादिया के मृतक पिता कान्हा का 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियान ने मिलकर मृतक राजपाल एवं प्रतिवादी सं0 1 यादराम ने मिन वादिया के नाम के इन्द्राज की जगह मेरे पिता कान्हा के हिस्से पर अपना नाम बतौर कान्हा के पुत्रान दर्ज करा लिया जबकि वास्तव में यादराम व राजपाल मृतक सुक्का के लडके हैं और मृतक कान्हा से उनका कोई वास्ता नहीं था । गलत इन्द्राज के आधार पर वादिया के निस्फ हिस्से के हकूक खातेदारी प्रभावित होती है तथा वादिया अपना

नाम दर्ज कराने की अधिकारी है । इसी प्रकार साबिक ख0 नं0 540, 643, 644, 645, 646, 649, 651, 532, 592, 593, 595, 638, 640, 642, 739, 740, 742, 743 जिसके हाल ख0 नं0 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1035, 856, 936, 934, 935, 938, 1016, 1017, 1019, 1142, 1143, 1144, 1145 व 1146 वाके सौखरी वादिया के पिता श्री कान्हा 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे और जब तक जीवित रहे, काबिज रहे वो उनके अर्सा करीब 30 साल पूर्व फौते होने के बाद स्वयं वादिया काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादी सं0 1 यादराम ने अपने आपको मृतक कान्हा का पि0मु0 बताकर अपना नाम विवादित आराजी ख0 नं0 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1035 तथा 1033 वाके सौंखरी के कान्हा वाले 1/6 हिस्से पर दर्ज करा लिया और प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 के वालिद सुक्खा ने इसी कदर आराजी ख0 नं0 856, 934, 935, 936, 938, 1016, 1017, 1019, 1142, 1143, 1144, 1145 व 1146 के 1/6 हिस्से पर जो मृतक कान्हा का था अपना नाम गलत रूप से दर्ज करा लिया जिस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 ने वादिया के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया । गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादिया ने प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का कहा तो मना कर दिया तथा गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण वादिया को कब्जे काश्त में व्यवधान व रूकावट व मजाहमत पैदा करने की धमकी दी तथा वादिया को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने की कोशिश में हैं तथा वादिया विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकसीम कराना चाहती है लेकिन प्रतिवादीगण राजीखुशी बंटवारा कराने को तैयार नहीं है । अतः वादिया ने विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी की घोषणा कराने, विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी को अलग से तकसीम कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी सं0 5 ल0 21 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 ने जवाब दावा पेश किया ।

वादी भागचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 1/167 के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी ख0 नं0 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1035 वाके ग्राम सौंखरी में स्थित है जो आराजी वादी के पूर्वजों के 1/3 हिस्से की आराजी है जिस पर वादी के पूर्व काबिज रहकर काश्त करते थे । कान्हा मृतक का कोई लड़का नहीं था जिसने अपने जीवनकाल में अपने भाई सुखा के लड़के यादराम को गोद ले लिया था तथा यादराम को गोद में बिठाकर बिरादरी की रश्म के मुताबिक गांव में बिरादरी के लोगों को नारियल पतासे बांटे तथा यादराम कान्हा के पास ही रहा तथा कान्हा के फौत होने पर यादराम ने ही तमाम सम्पति में तर्का पाया, कान्हा के मरने के बाद क्रियाकर्म दाह संस्कार व ब्राह्मण भोज भी उसी ने किया । पगड़ी यादराम के बांधी गयी । विवादित आराजी में मृतक कान्हा का 1/9 हिस्सा सुखा का 1/9 हिस्सा बोदन का 1/9 हिस्सा था । इसी प्रकार काबिज रहकर काश्त करते रहे हैं । मृतक कान्हा के 1/9 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 2 सुखा के 1/9 हिस्से पर वादी काबिज है । बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने विवादित आराजी में सुखा का 1/9 हिस्सा दर्ज कर दिया है तथा विवादित आराजी में यादराम को 1/6 हिस्से का तथा बोदन को 1/6 हिस्से का खातेदार दर्ज किया है जो इन्द्राज खिलाफ कानून व खिलाफ मौका होने के

कारण काबिल खारिज है । बन्दोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राज रिपीट करने चाहिए थे तथा वादी विवादित आराजी में 1/9 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी ने असल प्रतिवादीगण से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया तथा गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित आराजी से उसके हिस्से से जबरन बेदखल करने व कब्जा करने की तथा रहन, बय करने की धमकी दी । अतः वादी ने विवादित आराजी में 1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 1/6–1/6 हिस्से को कलमजन कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा डिक्री करने का निवेदन किया । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । तरतीबी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी सं0 1 बोदन ने जवाब दावा पेश किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों में एक ही बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 11.11.2002 को दावा सं0 1/38 प्राथमिक डिक्री व वाद सं0 1/167 भागचन्द वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2002 से व्यथित होकर अपीलांट व रेस्पो0 ने यह दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपीलांट ने इस न्यायालय में साबिक रेकार्ड भी पेश किया ।

चूंकि दोनों अपीलों में तथ्य व विवादित आराजी एक समान है तथा तहत न्यायालय द्धारा भी दोनों दावों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया गया है । इसलिए दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करते हुए कानूनी बिन्दुओं का भी अवलोकन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक श्री मूलचन्द चौधरी का बहस में कथन है कि भागचन्द ने बोदन, यादराम के खिलाफ एक दावा घोषणा का तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया जिसमें तहत न्यायालय ने निर्णय दिनांक 11.11.2002 को पारित किया जिसके खिलाफ यह अपीलें प्रस्तुत की गई है । विवादित आराजी ख0 नं0 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1033, 1035 कुल रकबा 12.04 बीघा वाके ग्राम सौंखरी में 1/3 भाग कान्हा, सूखा, बोदन का था अर्थात 1/9–1/9 के हिस्सेदार थे । कान्हा के यादराम दत्तक पुत्र है जिसके विरूद्ध मैंने दावा पेश किया । यादराम कान्हा के गोद चला गया । सूखा के दो पुत्र यादराम और राजपाल तथा राजपाल के भागचन्द है । सम्वत् 2028 में सूखा का हिस्सा जो राजपाल के पास था को खत्म कर दिया और कान्हा एवं बोदन को 1/9–1/9 भाग के स्थान पर 1/6–1/6 हिस्सा कर दिया तथा यादराम और बोदन का भी 1/6–1/6 हिस्सा कर दिया । प्रतिवादी का जवाब था कि कान्हा ने यादराम को कभी गोद नहीं लिया । ये यादराम के हिस्से को भी मना करते हैं और कान्हा और बोदन को 1/6–1/6 हिस्सा कर दिया । तहत न्यायालय के आदेश की अपील हमें इसलिए करनी पड़ी कि यादराम को कान्हा का पुत्र नहीं माना । यादराम का सूखा की जमीन से कोई संबंध नहीं रहा । बहस का मुख्य बिन्दु यह है कि यादराम कान्हा के गोद गया या नहीं ? इसके लिए मैंने सम्वत् 2013 की

जमाबन्दी पेश की है जिसमें कान्हा की जगह यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा दर्ज है । यह रेकार्डेड तथ्य है । अतः जब सम्वत् 2013 की जमाबन्दी में ही गोदनामा का रेकार्ड दर्ज हो गया तो इनकी मौखिक साक्ष्य का महत्व नहीं है । सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा लिखा हुआ है । भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में एक और वाद चल रहा है उसमें यह बिन्दु तय कर दिया कि यादराम कान्हा का दत्तक पुत्र था । हिन्दू सक्शेसन एक्ट के प्रभाव में आने से पहले ही कान्हा मर गया था तथा हम उसके गोद चले गये । इसलिए रेकार्ड में पिसर मुतबन्ना आ गया । सम्वत् 2013 में कान्हा की जमीन पर यादराम की काश्त साल एक दर्ज है । जब भू–प्रबन्ध न्यायालय ने यह तय कर दिया कि यादराम कान्हा का दत्तक पुत्र है तो तहत न्यायालय ने 1/9–1/9 भाग को नजर अंदाज किया कि यादराम दत्तक पुत्र नहीं है । यादराम और राजपाल को सूखा को पुत्र गलत माना है । जमाबन्दी सम्वत् 2021 की व गिरदावरी सम्वत् 2023 की पेश की है जिसमें काश्त लगातार दर्ज है । जब सभी जगह मेरा रेकार्ड में नाम दर्ज है तो मैं कब कब्जे से बाहर हुआ, ये रेकार्ड से सिद्ध नहीं है । राजपाल व यादराम को मुकदमा नं0 1/167 की डिक्री 1/9 भाग की गलत दी है तथा 1/9–1/9 में यादराम पुत्र कान्हा तथा राजपाल पुत्र सूखा तथा बोदन के वारिसान किये है जो गलत है । अतः 1/167 नम्बर के मुकदमें की डिक्री निरस्त की जाकर मेरे वाद के अनुसार डिक्री प्रदान की जावें ।

दूसरे दावा सं0 1/38 की बहस में अपीलांट अभिभाषक का कहना है कि इसमें कल्ली ने घोषणा का दावा किया तथा मु0नं0 1/167 के खसरा नम्बर को ही इस वाद में शामिल किया । इस वाद में हाल ख0 नं0 893, 919, 926 इनके लिए कल्ली ने 1/2 का हिस्सा मांगा, शेष ख0 नं0 856, 934, 935, 936, 1017, 1019, 1142, 1143, 1144, 1145 व 1146 में से 1/6 हिस्सा कल्ली तथा 1/6 हिस्से में बोदन और सूखा दोनों का हिस्सा मांगा । इसमें हमने जवाब दिया कि हिन्दू सक्शेसन एक्ट के लागू होने से पहले कान्हा ने यादराम को गोद ले लिया और 1956 से पहले हिन्दू सक्शेसन एक्ट आया तब लड़कियों का कोई अधिकार नहीं था । इसलिए कल्ली का कोई हिस्सा नहीं है । यद्यपि कल्ली कान्हा की पुत्री है परन्तु हम हिन्दू सक्शेसन एक्ट के आने से पहले इस आराजी पर काबिज हो गये । सम्वत् 2013 की इन नम्बरों की जमाबन्दी जिसके साबिक ख0 नं0 2013 में 579, 580, 584, 585, 532, 533, 592, 591, 640, 993, 642, 595, 638, 637, 640, 641 व 642 हैं । नये नम्बर 893 व 919 तथा 926 में ये 559, 580 साबिक के हैं । इसमें ये 1/2 हिस्सा मांग रहें हैं । सम्वत् 2013 की जमाबन्दी पुराने नम्बर दूसरे प्रकरण के उसमें कान्हा, सूखा, बोदन 1/3–1/3 से 1/9–1/9 के हैं । इस प्रकरण में इन पुराने नम्बरों में कान्हा और सूखा है । खाता सं0 60 है इसमें बोदन नहीं है । बाकी शेष नम्बरों में 1/3 हिस्से के हिस्सेदार है । यह स्थिति सम्वत् 2013 से पूर्व सम्वत् 2009 में थी । सम्वत् 2013 में भी नम्बर बंटे हुए हैं और हिस्सेदार थे, काश्त बंटी हुई थी । सम्वत् 2021 में भी इसी तरह का रेकार्ड है । इन नम्बरों में 1/6 हिस्से का जो हिस्सेदार घोषित किया है, वह बिना रेकार्ड है । कल्ली को 1/6 हिस्से का तथा 1/6 हिस्से में राजपाल व यादराम को कर दिया जो तहत न्ययालय ने गलत किया है । यदि हिस्सा तय करना है तो तीनों बराबर के होने चाहिए थे । ऐसा कौनसा रेकार्ड था जिससे कल्ली को 1/6 तथा सूखा के पुत्रों का 1/6 हिस्सा कर दिया ।

यदि घोषणा करनी ही थी तो 1/9–1/9 होनी चाहिए थी । अतः तहत न्यायालय ने उक्त रेकार्ड का अवलोकन किया ही नहीं और बिना आधार के पुराने रेकार्ड अनुसार गलत 1/6 हिस्से की घोषणा कर दी । अतः मेरा कहना है कि बिना पुराना रेकार्ड देखें बिना साक्ष्य की समीक्षा किये 1/2–1/2 हिस्सा कर दिया । मैंने तहत न्यायालय में पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 साक्ष्य पेश की है इसमें मेरे दावे में भागचन्द को 1/2–1/2 भाग का हिस्सा माना है । दूसरे पक्ष की ओर से तेजपाल की साक्ष्य पेश हुई । अन्य गवाह रामसिंह को पढ़े जिसने कल्ली को काश्त करते हुए नहीं देखा है । अतः जो तथ्य रेकार्ड से साबित है, वह मौखिक साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है । यादराम गोद गया था, कल्ली कहती है कि यादराम गोद नहीं गया तो यादराम सुखा की सम्पति से भी वंचित हो गया तथा कान्हा की पुत्री कल्ली भी यह नहीं मानती है तो यादराम कहा से सम्पति प्राप्त करेगा । अतः इस प्रकार से जांच की जावें कि जो दावा कल्ली का था, वह गलत है । दत्तक पुत्र के साथ–साथ बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ काश्तकार सम्वत् 2012 से ही हो गया । सम्वत् 2012 में उसकी काश्त दर्ज है । अतः कल्ली की घोषणा निरस्त की जावें । बन्दोबस्त के इन्द्राजों को यथावत रखा जावें । रेकार्ड व साक्ष्य से दावा सिद्ध नहीं होता है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी.जे. 1998 पेज 92, आर.बी.जे. 1999 पेज 426, आर. आर.डी. 1972 पेज 294, आर.आर.डी. 1959 पेज 457, ए.आई.आर. 1970 पेज 1286 व ए.आई. आर. 1969 पेज 329 पेश की ।

बहस जवाब में रेस्पो0 के अभिभाषक श्री उमाशंकर खण्डेलवाल ने भागचन्द के दावे का हवाला देते हुए कहा है कि भागचन्द बनाम बोदन मुकदमा नं0 1/167 में तहत न्यायालय में जो दावा था और पैरा सं0 2 में जो सजरा दर्शित किया है, वह सजरा बिल्कुल अपूर्ण है । इसमें कान्हा को मृतक दिखा दिया और उसमें कल्ली पुत्री को नहीं दिखाया है । राजपाल व भागचन्द को अकेला दिखा दिया जबकि इसकी बेवा अशरफी एवं पुत्री कस्तूरी को नहीं दिखाया है । ये सजरा इन्होंने अपने हित के लिए बनाया है । पैरा सं0 2 में इन्होंने ये कहा है कि कान्हा के कोई लड़का नहीं था और यादराम को गोद लिया जबकि रस्मों की सभी बातें यादराम को कहनी चाहिए थी । रेस्पो0 के अभिभाषक ने हिन्दू सक्शेन एक्ट 1956 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि यादराम गोद किस तरह से गया है । यह उनके कानूनी प्रावधानों से साबित करना चाहिए । डी.एन.जे. 2013 पार्ट I एस.सी. पेज 171 के अनुसार वैलिड सैरेमनी तब मानी जायेगी जबकि गोदनामा की शर्तें पूरी हो । गोदनामा का कोई रेकार्ड नहीं है । आर.आर.डी. 1996 पेज 134 यादराम को सिद्ध करना चाहिए कि गोदनामा की रस्मे हुई है, समुचित साक्ष्य है । सम्वत् 2013 के दस्तावेजों में यदि कोई दत्तक की प्रविष्ठियां कर दे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है । क्या दत्तक होने का इन्तकाल दर्ज हुआ है । आर.आर.टी. 2015 II पेज 1109 पेश कर कहा कि नामान्तकरण के आधार पर ही गोदनामा नहीं होता है । गोद के लिए सम्पूर्ण रीति रिवाज होने चाहिए ।

बहस जवाब में मौखिक साक्ष्य का हवाला दिया, जिरह का हवाला दिया । पुत्री का कब्जा नहीं है तो भी उसका अधिकार बनता है । गोदनामा होने की कोई साक्ष्य पेश नहीं होना बताया । गोदनामा नहीं होने से यादराम को भागचन्द पुत्र राजपाल के साथ हिस्सा मिलता है तो 1/9–1/9 ही हिस्सा मिलेगा जो सही डिक्री जारी की है । डी.एन.जे. 2016 राज0 पेज 206 का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व न्यायालय गोदनामा को निर्धारित नहीं

4/2014

कर सकते हैं । बिना क्षेत्राधिकार कोई न्यायालय निर्णय देता है तो वह बाध्यकारी नहीं है, वह डिक्री नलिटी है । डी.एन.जे. 2013 एस.सी. पेज 668 का हवाला दिया । अतः अन्डर डिस्पूट व अन्डर अपीलेट मैटर में यदि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ ने कोई आदेश पारित किया है तो उससे अपीलांट कोई रिलीफ नहीं ले सकता है । रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में यह भी कहा है कि हिन्दू सक्शेसन एक्ट के प्रभाव से पूर्व भी लड़कियां को सीमित अधिकार थे । रेकार्ड से यह साबित नहीं है कि कान्हा हिन्दू सक्शेसन एक्ट से पहले फौत हो गया हो । संयुक्त सम्पति में किसी काश्त है, यह मायने नहीं रखती है । इसके लिए आर.एल.डब्ल्यू. 2011 I पेज 332 का हवाला दिया । अपील खारिज करने की इस्तदुआ की ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने कल्ली बनाम यादराम मुकदमें में दावे और अपील के तथ्यों पर पुनः ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि यादराम ने दत्तक पुत्र का कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया है जो साक्ष्य है उससे भी गोद जाना प्रमाणित नहीं है । यादराम की साक्ष्य सही नहीं है । राजस्व रेकार्ड में एक जगह ही यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा आया है । ये बिना इन्तकाल के है । पटवारी से मिलकर इन्द्राज कराये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इनको गलत माना है और दावा कल्ली सही डिक्री किया है । सम्वत् 2012 में कब्जे के आधार पर भी ये दावा नहीं कर सकते हैं । अन्त में मुख्य विवाद कान्हा की सम्पति और उसके दत्तक पुत्र होने या न होने को लेकर है । तहत न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील खारिज करने की इस्तदुआ की ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2015 पेज 1109, आर.आर.डी. 1996 पेज 134, आर.आर.टी. 2012 पेज 1412, आर.बी.जे. 1998 पेज 563, डी.एन.जे. 2016 पेज 205, डी.एन.जे. 2013 पेज 667 व आर.आर.डी. 1986 पेज 226 पेश की ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट श्री मूलचन्द चौधरी का कहना है कि दावा इनका था, साबित इनको करना चाहिए कि ये गोद नहीं आये । 1/6 हिस्सें की घोषणा का कोई जवाब नहीं दिया कि 1/6 हिस्से में अकेला कान्हा था और 1/6 हिस्से में बोदन था । मेरा यही कहना है कि सन् 1956 से पहले ही यादराम गोद गया, पगड़ी बंधी थी । यदि गोद नहीं लेते तो दत्तक पुत्र रेकार्ड में क्यों आता । कल्ली कान्हा को 20 वर्ष पूर्व मरा बताती है तो 1964 में कैसे मरा बयान विरोधाभाषी हैं । अतः मेरा रेकार्ड सही है । सन् 1964 में मरने का कोई रेकार्ड पेश नहीं है । इनकी सभी नजीरें मुझ पर लागू नहीं है । ये नजीरें नामान्तकरण पर है । सजरा का कोई बिन्दु पहले नहीं था । संयुक्त काश्त है तो अलग–अलग काश्त की बहस कैसे चलेगी । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । साथ ही उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया । हमने पत्रावली एवं जवाब दावा दोनों प्रकरणों में पेश रेकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया ।

प्रस्तुत अपीलों तथा मुख्य वादों में मुख्य बिन्दू ये हैं –

1. कान्हा, सूखा व बोदन तीनों भाई है तथा तीनों के पिता तुलसी थे ।
2. कान्हा के कोई पुत्र नहीं था तथा कल्ली एकमात्र पुत्री थी ।

3. यादराम पुत्र सूखा को क्या कान्हा ने गोद लिया है या नहीं लिया है । साबिक रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2013–16 में यादराम ने दत्तक पुत्र कान्हा के अंकन का क्या महत्व है ।

4. यदि गोद लिया है तो क्या हिन्दू सक्शेसन एक्ट 1956 से पूर्व का है या बाद का है ।

5. दत्तक पुत्र होने या नहीं होने से कल्ली पुत्री कान्हा के अधिकारों पर क्या असर पड़ता है ।

6.. कान्हा की मृत्यु कब हुई है ।

उक्त बिन्दुओं के विवेचन से पूर्व तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 11.11.2002 का विवेचन करते है तो निर्णय के अनुसार कान्हा की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री ही एकमात्र वारिस है । यादराम व राजपाल व उसके पुत्र भागचन्द आदि ने सुक्खा के हिस्से की ही आराजी प्राप्त होगी । बन्दोबस्त के इन्द्राजों को कल्ली को कान्हा की विरासतन अधिकारी मानकर इन्द्राज दुरूस्त किये हैं ।

अपीलांट का बहस में मुख्य जिरह का बिन्दु ये है कि यादराम कान्हा का दत्तक पुत्र है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पूर्व ही वह गोद चला गया था जिसका साबिक रेकार्ड में अंकन है । इससे यादराम के दत्तक पुत्र होना प्रमाणित है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व लड़कियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं मिलता है जैसाकि उन्होंने अपनी कानूनी नजीर आर.बी.जे. 1998 पेज 92 में बताया है । मौखिक साक्ष्य को विरोधाभाषी तथा जिनके सम्वत् 2013 से पूर्व के कब्जे व तत्कालीन कार्यवाही का ज्ञान नहीं है उनकी साक्ष्य को कम उम्र की होने से सही नहीं माना है । कान्हा की मृत्यु 1956 से पूर्व होना बता रहे हैं ।

रेस्पो की मुख्य जिरह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों की पालना नहीं होने व ऐसी कोई साक्ष्य व रेकार्ड पेश नहीं करने से गोदनामा नहीं होना और न ही दत्तक पुत्र मानना बता रहे हैं । इस आधार पर केवल कल्ली को ही कान्हा की एकमात्र वारिस मान रहे हैं ।

अतः इन दोनों ही अपीलों का निर्णय उक्त निर्धारित किये गये बिन्दुओं से ही तय होगा –

1. रेकार्ड से यह सिद्ध है कि कान्हा, बोदन तथा सुक्खा तीनों सगे भाई हैं । यह स्वीकार्य तथ्य है ।

2. कान्हा के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था, कल्ली एकमात्र पुत्री थी । यह स्वीकार्य तथ्य है ।

3. अपीलांट यादराम की ओर से साबिक रेकार्ड सम्वत् 2013 की जमाबन्दी पेश कर कहा गया है कि कान्हा ने यादराम को गोद लिया है और उसके इन्द्राज साबिक जमाबन्दियों में अंकित हैं । रेकार्डेड साक्ष्य स्वयं अपने आपमें श्रेष्ठ साक्ष्य है जिसे मौखिक साक्ष्य से गलत साबित नहीं किया जा सकता है । अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य तर्क यही दिया है कि 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से पूर्व से ही गोदनामा की कार्यवाही की गई है जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन है ।

इस संबंध में न्यायालय का विवेचन है कि चूंकि अपीलांट 1956 से पूर्व का दत्तक पुत्र होना बता रहे हैं और रेस्पो0 1956 के प्रावधानों से यह कहना चाहते हैं कि यादराम सिद्ध करें कि वह कान्हा का दत्तक पुत्र है । यदि यह तय किया जाता है कि दत्तक पुत्र है और 1956 से पूर्व का है तो रेस्पो0 अभिभाषक की 1956 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की बहस का कोई मायना नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को मानते हुए दत्तक पुत्र होना स्वीकार नहीं किया है और इसी आधार पर कल्ली को एकमात्र वारिस मानकर दावा कल्ली बनाम यादराम डिक्री किया है ।

अपील में यादराम की ओर से साबिक रेकार्ड पेश किया गया है । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 के अनुसार खाता सं0 60 में ख0 नं0 540, 642, 644, 645, 646 वगैरा कान्हा, सुक्खा, बोदन पिसरान तुलसी व काश्त यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा का अंकन है । नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013 के ख0 नं0 524 में यादराम पिसर मुतबन्ना कान्हा मजकूर साल 1 का अंकन है । वादिया कल्ली के वर्ष 2001 में कराये गये बयनामें के अनुसार उनकी उम्र 70 वर्ष थी अर्थात यह उम्र भी जानी जावें तो सन् 1955 में वादिया कल्ली 25 वर्ष की थी । कान्हा को मरे हुए 20 वर्ष से अधिक समय बताया है । वादिया का अन्य गवाह शिम्भूदयाल के वर्ष 2001 के बयान अनुसार कान्हा को मरे हुए 35–40 साल हो गये हैं । यादराम के बयानों के अनुसार वह 2002 में 65 वर्ष का था । वादिया के गवाह बाहर के हैं ।

हमने उक्त रेकार्ड व बयानों का अवलोकन किया गया । साबिक रेकार्ड सम्वत् 2013 व सम्वत् 2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि सम्वत् 2013 में यादराम रेकार्डेड कान्हा का दत्तक पुत्र था । जहां तक दत्तक पुत्र की रस्में हुई या नहीं हुई, यह बिन्दु 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि सम्वत् 2013 का रेकार्ड यह सिद्ध करता है कि यादराम 1956 के पूर्व से ही कान्हा का दत्तक पुत्र हो गया । इसलिए प्रकरण में पुराना हिन्दू लॉ के प्रावधान ही लागू होते हैं । सन् 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है । जहां तक वादिया के बयानों के आधार पर वर्ष 2001 में उनकी उम्र 70 वर्ष लगभग थी तो जाहिर है कि वर्ष 1956 से पूर्व उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी । ऐसी स्थिति में यह भी माना जावेगा कि कल्ली की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने से पूर्व ही हो गयी । जहां तक कान्हा की मृत्यु का प्रश्न है, वादिया व रेस्पो0 रेकार्ड व साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं कर पाये कि उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई है । वादिया 20 वर्ष से पहले बताती है । गवाह शिम्भू 35–40 वर्ष पूर्व बता रहे हैं । अतः साबिक रेकार्ड के अनुसार यदि यादराम पिसर मुतबन्ना वर्ष 2013 में दर्ज हो गया है तो यही मान्य है कि कान्हा की मृत्यु 1956 के पूर्व ही हो गयी थी । अतः अपीलांट की कानूनी नजीर आर.बी.जे. 1998 पेज 92 इस प्रकरण पर चस्पा है । रेस्पो0 की कानूनी नजीरें 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार है जो इस केस में चस्पा नहीं होती है । अतः पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार पुत्री को पिता की सम्पति में शादी होने के बाद कोई अधिकार नहीं है, केवल दत्तक पुत्र यादराम ही विरासतन अधिकारी है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय इस आधार पर पारित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार केवल कल्ली ही कान्हा की विरासतन अधिकारी है, कानून सम्मत नहीं है ।

2014

अतः अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है । इस आधार पर तुलसी के तीनों पुत्रों कान्हा, सुक्खा व बोदन के मध्य उनकी खातेदारी की आराजी 1/3–1/3 हिस्से में आती है तथा सुक्खा का विरासत अधिकारी राजपाल व उसके वारिसान है और कान्हा के विरासतन अधिकारी उनका दत्तक पुत्र यादराम है । बोदन के 1/3 हिस्से के अधिकारी उसके वारिसान है ।

अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर द्वारा जो उंनवानी वाद सं0 1/38 व 1/167 में जो निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2002 पारित की है उसे निरस्त किया जाता है तथा अपील सं0 100/2017 बउनवान भागचन्द बनाम तेजपाल में विवादित आराजी ख0 नं0 1021 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 1022 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1023 रकबा 14 बिस्वा, 1024 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1025 रकबा 12 बिस्वा, 1033 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, 1035 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में वादी/अपीलांट को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा असल प्रतिवादीगण का नाम जो राजस्व अभिलेख में 1/6–1/6 हिस्से पर दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी/अपीलांट के 1/9 हिस्से का खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किया जावें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/4/18

(कमलेराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर